अनुबंध-6

एसएलबीसी उप-समिति की बैठकों से संबंधित कार्य-सूची

1) कृषि और संबद्ध कार्यकलापों पर उप-समिति (एससी-एए)

i) वार्षिक ऋण योजना के संदर्भ में कृषि (फसल ऋण और सावधि ऋण) और संबद्ध कार्यकलापों के लिए ऋण प्रवाह; ऋण की कमी वाले जिलों में ऋण प्रवाह

ii) फसलों, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए केसीसी ऋण, एनपीए और वसूली

iii) कृषि और संबद्ध कार्यकलापों और कृषि-बुनियादी संरचना से संबंधित केंद्र/ राज्य सरकार की विशिष्ट योजनाओं के तहत वित्तपोषण

iv) खाद्य प्रसंस्करण और कृषि-निर्यात संवर्धन

v) राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित जिलों में कृषि ऋणों की पुनर्संरचना, यदि कोई हो,

vi) राज्य के लिए संभावित संवृद्धि वाले विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगााना

vii) ग्रामीण और कृषि बुनियादी संरचना से संबंधित मामले

viii) मॉडल भूमि लीजिंग अधिनियम 2016 का कार्यान्वियन

ix) भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण

x) डब्ल्यूडीआरए पंजीकृत गोदामों द्वारा जारी ई-एनडब्ल्यूआर के माध्यम से गिरवी पर वित्तपोषण

xi) एफपीओ का वित्तपोषण

xii) डीसीसी द्वारा भेजे गए कृषि ऋण से संबंधित मामले

xiii)कोई अन्य प्रासंगिक मामला

2) एमएसएमई और अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र पर उप-समिति (एससी - एमएसएमई और ओपीएस)

क) एमएसएमई

i) सरकार प्रायोजित योजनाओं और अन्य पहलों के तहत ऋण देने पर चर्चा

ii) वार्षिक ऋण योजना के संदर्भ में एमएसएमई को ऋण प्रवाह और ऋण की कमी वाले जिलों में एमएसएमई को ऋण देना; एनपीए और वसूली; नई इकाइयों का वित्तपोषण

iii) एमएसएमई को संपार्श्विक प्रतिभूति मुक्त ऋण, सीजीटीएमएसई के तहत कवरेज

iv) उद्यम पोर्टल, उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग और टीआरईडीएस पर ऑनबोर्डिंग

v) एमएसएमई से संबंधित केंद्र/ राज्य सरकार की विशिष्ट योजनाओं के तहत वित्तपोषण

vi) एमएसएमई क्लस्टरों में बैंकिंग सुविधाएं

vii) निर्यात ऋण और स्टार्टअपों का वित्तपोषण

viii) बुनियादी संरचना के विकास और सुविधाओं की उपलब्धता संबंधी मामले (जैसे ऊर्जा, जल, दूरसंचार, प्रदूषण नियंत्रण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, बाजार तक पहुंच (ऐक्सेस), सामान्य सुविधा केंद्र, डिजाइन केंद्र, अनुसंधान एवं विकास केंद्र और प्रशिक्षण, आदि)।

ix) राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित जिलों में एमएसएमई ऋणों की पुनर्संरचना, यदि कोई हो,

x) महिलाओं की अगुवाई वाले उद्यमों का वित्तपोषण

xi) राज्य के लिए संभावित संवृद्धि वाले विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगााना

xii) डीसीसी द्वारा भेजे गए एमएसएमई ऋण से संबंधित मामले

xiii)कोई अन्य प्रासंगिक मामला

ख) अन्य प्राथमिकता क्षेत्र (ओपीएस)

i) निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी संरचना, अक्षय ऊर्जा और अन्य (यानी कृषि और एमएसएमई से इतर) जैसे प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रवाह

ii) अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों से संबंधित केंद्र/ राज्य सरकार की विशिष्ट योजनाओं के तहत वित्तपोषण

3) वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर उप-समिति (एससी-एफआईएफएल)

क) वित्तीय समावेशन (एफआई)

i) बैंकिंग सुविधाएं-रहित ग्रामीण केंद्रों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हुए कवरेज; राज्य में बैंकिंग बुनियादी संरचना और कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) के परिचालन से संबंधित मुद्दे

ii) राज्य में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

iii) *पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई और एनपीएस के तहत पात्र जनता के कवरेज में प्रगति; कवरेज को प्रभावित करने वाले मुद्दे*

iv) *एसएचजी के तहत प्रगति - बैंक सहबद्धता और सामने आने वाली समस्याएं*

v) *कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्रेडिट सहबद्धता*

vi) *डीसीसी द्वारा भेजे गए वित्तीय समावेशन से संबंधित मामले*

vii) *कोई अन्य प्रासंगिक मामला*

ख) वित्तीय साक्षरता (एफएल)

i) *एफएल गतिविधियों की समीक्षा और विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करना*

ii) *स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा*

iii) *सेंटर फॉर फाइनैन्शियल लिटरसी (सीएफएल) और फाइनैन्शियल लिटरसी सेंटर (एफएलसी)*

iv) *कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल को शामिल करना*

v) *डीसीसी द्वारा भेजे गए वित्तीय साक्षरता से संबंधित मामले*

vi) *कोई अन्य प्रासंगिक मामला*

4) डिजिटल भुगतानों पर उप-समिति (एससी-डीपी)

i) *डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र (ईडीडीपीई) के विस्तारण और गहनता में हुई प्रगति*

ii) *इस कार्यक्रम की प्रगति को प्रभावित करने वाले मुद्दे, जैसे, कनेक्टिविटी संबंधी मुद्दे, डिजिटल धोखाधड़ी*

iii) *ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल वित्तीय जागरूकता और साइबर सुरक्षा अभियान तथा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना*

iv) *डीसीसी द्वारा भेजे गए डिजिटल भुगतान से संबंधित मामला*

v) *कोई अन्य प्रासंगिक मामला*